# ACHIEVERS IAS ACADEMY

## SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

# HINDI

DATE

**09/08/2023**

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

Ground & second floor, Orchid Mall, Boring road (Opp: A.N. College) Patna 800001

# THE HINDU 09.08-2023 National

## भाजपा ने मणिपुर और समुदायों को विभाजित किया है: कांग्रेस

लोकसभा में मंगलवार को पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई. बहस की शुरुआत करते हुए उप विपक्ष नेता गौरव गोगोई ने पूछा कि हिंसा शुरू होने के बाद से पीएम ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने यह भी पूछा कि पीएम इतने दिनों तक चुप क्यों हैं? बीजेपी की ओर से शुरुआत करते हुए निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर देश के लिए काम करने वाले "व्यक्ति के बेटे" को निशाना बनाने का आरोप लगाया. किरण रिजिजू ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव 'गलत समय, गलत तरीके' से लाया गया है.

## CJI ने पूछा, क्या अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए?

अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को श्री सुबल ने कहा कि संसद ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा को समझने का प्रयास किए बिना अनुच्छेद 370 को "एकतरफा" तरीके से कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को ब्रेक्जिट की तरह ही जम्मू-कश्मीर के लोगों से भी पूछना चाहिए था। सीजेआई ने कहा कि भारत जैसे देश में जहां संस्थाएं बनी हैं वहां जनमत संग्रह जैसा ब्रेक्जिट संभव नहीं है.

"एक संवैधानिक लोकतंत्र में, लोगों की राय स्थापित संस्थानों के माध्यम से मांगी जानी चाहिए। जनता की राय के लिए कोई भी सहारा स्थापित संस्थानों के माध्यम से मांगा जाना चाहिए। आप ब्रेक्सिट-प्रकार के जनमत संग्रह की परिकल्पना नहीं कर सकते... यह तत्कालीन द्वारा लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था ब्रिटेन में सरकार... लेकिन हमारे जैसे संविधान के तहत जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है," मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

सिब्बल ने कहा, "आपने (भारत सरकार) संविधान के साथ धोखाधड़ी की है।" एक बिंदु पर सीजेआई ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 370 की "अस्थायी" प्रकृति को हटाने और इसे स्थायी बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है या इसे स्थायी माना जा सकता है, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 1957 में भंग होने से पहले इसे निरस्त नहीं किया था।

## मणिपुर में पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ मामला दर्ज किया

मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ "ड्यूटी में बाधा" और "आपराधिक धमकी" का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि 9वीं बटालियन असम राइफल्स ने "आरोपी कुकी उग्रवादी को सुरक्षित क्षेत्र में भागने का मौका देने" का "अभिमानी कृत्य" किया है।

5 अगस्त को मीटी बहुल क्षेत्र क्वात्रा बिष्णुपुर में कूकी उग्रवादियों ने पिता-पुत्र की हत्या कर दी। उग्रवादी चुराचादपुर जिले से आये थे। असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान बंद कर दिया है। असम राइफल्स को बफर जोन में तैनात किया गया है। पहाड़ी और घाटी जिलों के बीच की भूमि।

माइटीज़ असम राइफल्स पर कुकियों का पक्ष लेने का आरोप लगाते रहे हैं। 7 अगस्त को बीजेपी के राज्य नेतृत्व ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि लोगों ने कुकी ज़ोमी समुदाय को अपने व्यवसाय के लिए असम राइफल्स पर आरोप लगाया है। असम राइफल्स को भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है लेकिन यह गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है और सीएपीएफ का एक हिस्सा है। यह म्यांमार के साथ भारत की सीमा की रक्षा करता है। और मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में तैनात है।

## भारत में किए गए परीक्षण से पता चलता है कि पोषण संबंधी सहायता टीबी से संबंधित रोकथाम करती है

### मौतें

एनआईआरटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस) चेन्नई द्वारा हाल ही में किए गए एक परीक्षण में बताया गया है कि पोषण संबंधी सहायता पाने वालों में टीबी से 39 से 48% कम मौतें होती हैं। यह परीक्षण दो समूहों पर किया गया, एक समूह के सदस्यों को 5 किलो चावल, 1.5 किलो तुअर दाल, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट टैबलेट दिया गया।

## विपक्ष की गैरमौजूदगी में राज्यसभा से चार बिल पास

राज्यसभा में कल पारित हुए चार विधेयक अंतर सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण, अनुशासन) अधिनियम; आईआईएम (संशोधन) विधेयक राष्ट्रपति को आईआईएम का दौरा करने की अनुमति देता है; राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक; राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक।

## अविश्वास प्रस्ताव भारत ब्लॉक के भीतर अविश्वास का संकेत है

पीएम ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय समिति को संबोधित करते हुए इंडिया ब्लॉक को 'घमंडिया' (अहंकार से भरा) बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले विपक्षी नेताओं ने अपनी वंशवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्ट राजनीति से इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने भारत छोड़ने के लिए "भ्रष्ट, वंशवादी और तुष्टिकरण की राजनीति" दोहराई।

## हाउस पैनल ने पूछा, आदिवासी आबादीपर अलग-अलग डेटा क्यों?

महिला सशक्तिकरण पर संसदीय राजनीति ने जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य पर अलग-अलग डेटा नहीं रखने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। समिति ने बताया कि कैसे एक बड़ी आदिवासी आबादी सिकल सेल एनीमिया, लेप्टिसी, टीबी और हैजा जैसी बीमारियों से पीड़ित है।

आदिवासी आबादी में सिकल सेल एनीमिया और जी 6पीडी डिफेन्सिएन्सिस बढ़ रहा है। आधे से ज्यादा गर्भवती आदिवासी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। जनजातीय लोगों पर सिकल सेल परीक्षण से 10.5 लाख से अधिक लोग इसके वाहक पाए गए। 50,000 लोगों में इस बीमारी का निदान किया गया।

## खतरों के बीच रक्षा मंत्रालय कंप्यूटरोंमें स्थानीय रूप से निर्मित ओएस पर स्विच करेगा

महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे पर साइबर और मैलवेयर के खतरे का सामना करते हुए। रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया ऑपरेटिंग सिस्टम से बदल देगा। माया ओएस को लिनक्स का उपयोग करके स्थानीय रूप से विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटर 15 अगस्त तक माया ओएस से काम करेंगे। चक्रव्यूह स्थानीय स्तर पर विकसित एक एंटीवायरस का भी उपयोग किया जाएगा।

# World

### भ्रष्टाचार मामले का असर पोल पैनल ने इमरान को पांच साल के लिए अयोग्य ठहराया।

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस वसीयत को लेकर उसने मंगलवार को एक बयान जारी किया. तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा के बाद अयोग्यता दी गई है। निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ इमरान खान हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। फिलहाल इमरान खान लाहौर के पास अटॉक जेल में कैद हैं।

### चीन फिलीपींस के जहाज को हटाना चाहता है

चीन ने फिलीपिंस से अपने जहाज को हटाने के लिए फिर से अपील की है, जो 1999 से स्पार्टी द्वीपों के पास खड़ा है। बीआरपी सिएरा मैड्रेन नामक जहाज को 1999 में जानबूझकर वहां पार्क किया गया था, चीन के साथ टकराव में कि पूरा दक्षिण चीन सागर चीन का है। जहाज पर फिलीपींस की कुछ सेना तैनात है और फिलीपींस जहाज पर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करता था।

हाल ही में चीन के तट रक्षकों ने फिलीपीनी जहाज पर पानी की बौछारें कीं जो ख़राब हो चुके जहाज़ बीआरपी सिएरा माद्रे के लिए सामग्री ले जा रहा था।चीन का कहना था कि जिस जहाज पर पानी की बौछार की गई, वह अपने साथ निर्माण सामग्री ले जा रहा था.

दक्षिण चीन सागर में कई द्वीप हैं जिनके लिए पहले आसपास के देश प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। चीन, वियतनाम, फ़िलिन्स, मलेशिया के बीच कुछ कब्ज़ों को लेकर विवाद है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले में 10 सीरियाई सैनिक मारे गए हैं

इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों ने राका प्रांत में 10 सीरियाई बलों की हत्या कर दी।

सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, आईएस ने शासन से संबंधित चौकियों और चौकियों पर हमला किया...सैन्य वाहनों और पूर्वनिर्मित घरों में आग लगा दी।

कुर्द बलों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले राका 2017 में आईएस के नियंत्रण में था। सीरिया के कुछ हिस्से अभी भी इस्लामिक राज्यों के प्रभाव में हैं।

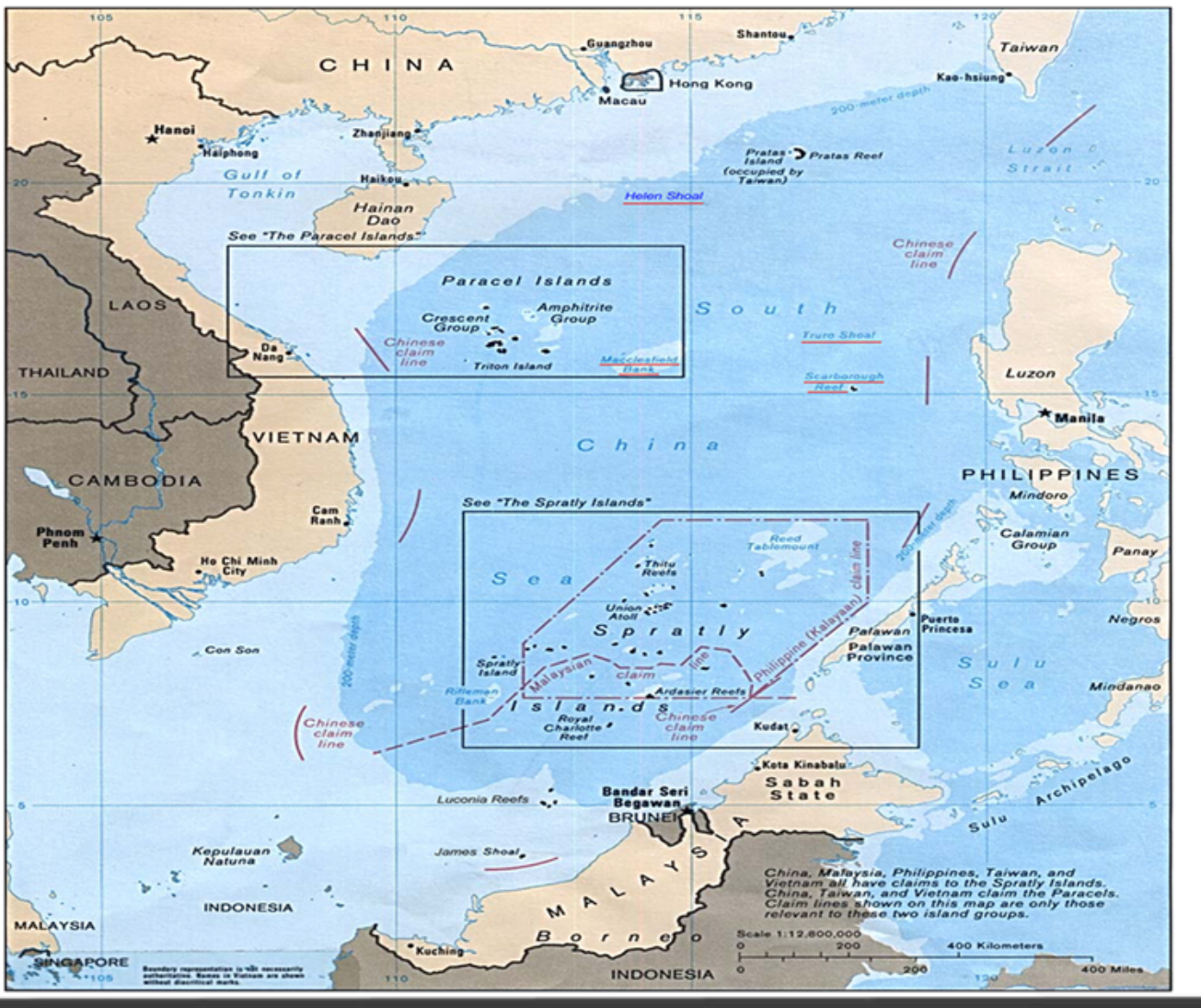

## यूक्रेन के आवासीय भवन ब्लॉक पर रूसी हमले में 7 की मौत।

यूक्रेन के शहर पोक्रोव्स्क में रूसी हमले में 7 की मौत और 81 घायल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक ब्रीफिंग में बताया कि मिसाइल को यूक्रेन सशस्त्र बलों के कमांड हिस्से पर लक्षित किया गया था, लेकिन यह आवासीय ब्लॉक पर गिर गया।

## लंदन में प्रतिष्ठित ब्रिटिश संग्रहालय के पास चाकू से हमले के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

## ब्लिंकन का कहना है कि नुगेर तख्तापलट संकट को हल करने के लिए कूटनीति "पसंदीदा तरीका" है

## ट्रंप ने कहा, अभियोजक मेरेअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करना चाहते हैं

डोनाल्ड ट्रंप एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं जिसमें जनवरी 2020 में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने का आरोप है।

पूर्व राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, "मुझ पर कोई सुरक्षात्मक आदेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बोलने की आजादी के मेरे अधिकार पर आघात होगा।"

➡ **रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले में 10 सीरियाईसैनिक मारे गए हैं**

इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों ने राका प्रांत में 10 सीरियाई बलों की हत्या कर दी।

सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, आईएस ने शासन से संबंधित चौकियों और चौकियों पर हमला किया...सैन्य वाहनों और पूर्वनिर्मित घरों में आग लगा दी।

कुर्द बलों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले राका 2017 में आईएस के नियंत्रण में था। सीरिया के कुछ हिस्से अभी भी इस्लामिक राज्यों के प्रभाव में हैं।

## Editorial 1

**कम पड़ना**

**डिजिटल डेटासंरक्षण बिल में अभी भी कुछ खामियां हैं जिन्हें साफ करने की जरूरत है**

### संपादकीय के बारे में

इसमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के बारे में बताया गया है।बिल राज्यसभा से पारित हो गया है। ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो लोगों के एक वर्ग को विवादास्पद लगते हैं

### डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के तहतप्रावधान.

बिल में ऐसे प्रावधान हैं जैसे लोगों का डेटा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को यह बताना होगा कि उनका डेटा कहां इस्तेमाल किया जाएगा.डेटा का दुरुपयोग करने वालों या आवश्यकता से अधिक किसी अन्य उद्देश्य के लिए डेटा का उपयोग करने वालों को दंडित किया जाएगा। एक डेटा सुरक्षा बोर्ड (DPB) भी स्थापित किया गया है।

लेकिन इसमें सबसे विवादास्पद यह है कि सरकार सुरक्षा और अन्य प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए कल्याण सेवाओं के लिए उस व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना डेटा का उपयोग कर सकेगी जिसका डेटा उपयोग किया जा रहा है। कई लोगों को डर है कि यह सरकार मीडिया, संगठनों को नियंत्रित करेगी और इसे एक अशांत राज्य बना देगी।

## Editorial 2

**सांप्रदायिक दंड**

**हरियाणा सरकारघरों को तोड़ने के लिए दंगों का बहाना नहीं बना सकती**

### संपादकीय के बारे में

संपादकीय में नूंह और गुरुग्राम में दंगों के बाद घरों को तोड़े जाने की बात कही गई है। न्यायालय ने विध्वंस अभियान रोक दिया है और संपादकीय ने न्यायालय के कदम की सराहना की है।

### घटना के बारे में

सरकार ने हरियाणा दंगों में शामिल लोगों के घरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। नूंह और गुरुग्राम में दंगाइयों और उनका समर्थन करने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से इस अभियान पर रोक लगा दी।

### ऐसे ड्राइव क्या कहते हैं

दंगाइयों की इमारतों को ध्वस्त करने के लिए इसी तरह का अभियान यूपी, एमपी और दिल्ली में भी चलाया गया। जबकि सरकार का कहना है कि उन इमारतों पर अतिक्रमण किया गया था, फिर भी यह पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि कानूनी प्रक्रिया का अभाव है, जैसे विध्वंस से पहले पूर्व सूचना देना, पर्याप्त समय देना ताकि निवासी अपने सामान की देखभाल कर सकें। देखने में आ रहा है कि या तो ध्वस्तीकरण अभियान पूरी तरह से अवैध है और यदि कानूनी है भी तो उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

हाल ही में नूंह और गुरुग्राम में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई.

### सरकार द्वारा प्रस्तावित जन विश्वास विधेयक, 2023 क्या है?

जन विश्वास (संशोधन और प्रावधान) विधेयक, 2023 हाल ही में संसद में पारित हुआ। इसका उद्देश्य जीवनयापन में आसानी और व्यापार करने में आसानी को और बढ़ावा देना है। इसमें 19 मंत्रालयों के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया जाएगा। सज़ाओं को कम करके दंड बना दिया जाएगा। औषधि एवं सुरक्षा अधिनियम 1940, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और फार्मेसी अधिनियम 2006 बदले जाने वाले कुछ प्रमुख अधिनियम हैं। सरकार का कहना है कि कानूनों को तर्कसंगत बनाने, बाधाओं को दूर करने से व्यापार की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।